


18/2/25

अभ्युक्त के अभिमात्र उपरोक्त प्राप्ति धारा-10 47C पर
अभ्युक्त के अभिमात्र को सुना गया। उक्त प्रकरण में
विवादित आराजी से संबंधित एक प्रकरण उनबानी
सोवरनसिंह वर्गा वनाम राज सरकार प्रकरण संख्या
65/2020 न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में
विचारधीन है। अभिमात्र अपीलान्त ने उक्त प्रकरण में
किये जाने वाली आगामी कार्यवाही को माननीय राजस्व
मण्डल के निर्णय तक स्थगित रखे जाने की प्रार्थना
की है। परीकार सरकार ने प्राप्ति धारा-10 47C का
कोई जवाब पेश नहीं किया है और ना ही कोई आपत्ति
पेश की है। अतः अपीलान्त प्रार्थी का प्रार्थना प्राप्ति धारा-10 47C
स्थापित किया जाकर उक्त प्रकरण में किये जाने वाली
आगामी कार्यवाही माननीय राजस्व मण्डल अजमेर
के निर्णय तक स्थगित रखी जाती है। अपीलान्त के
अभिमात्र को पावन्द किया जाता है कि वह माननीय
राजस्व मण्डल अजमेर से निर्णय होने पर
निर्णय की प्रति पेश करें। पञ्चावली नम्बर से काम की
जाये। जोडेश खुले न्यायालय सुनाया गया।


श्रीनिधि बी टी
जिला कलक्टर, बीलपुर